



प्रेस नोट

दिनांक: 28.03.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**सहारनपुर पुलिस द्वारा गुण्डा प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 03 यू0पी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही के फलस्वरूप 02 व्यक्तियों को जिला बदर घोषित किया गया**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा गुण्डा प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। ऐसे अपराधी जो गुण्डा प्रवृत्ति के हैं और जनपद में रहकर लगातार अपराध कारित करते हैं। उनके विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा धारा 03 यू0पी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी है। जिसके फलस्वरूप श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), सहारनपुर द्वारा गुण्डा प्रवृत्ति के 02 व्यक्तियों को जिला बदर घोषित किया गया तथा जिला बदर घोषित अपराधियों को जनपद की सीमाओं से 06 माह के लिए निष्कासित किया गया है। विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	वाद सं०	चालानी थाना	नाम पता अभि०गण	न्यायालय का नाम
1	4092/2023 कम्प्यूट्रीकृत / डी202309600004092	बेहट	सलमान पुत्र फरमान निवासी ग्राम पटलोकर थाना बेहट स०पुर।	जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर
2	4091/2023 कम्प्यूट्रीकृत / डी202309600004091	बेहट	मुनव्वर पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट स०पुर।	जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 28.03.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार,  
कब्जे से 360 ग्राम चरस बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियन्त्रण व नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. मनोज कुमार पुत्र लोतीराम निवासी मौ0 राधास्वामी कालोनी (पूर्वी अफगानान) कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर व 2.सौरभ कुमार पुत्र रविन्द्र कुमार निवासी ग्राम तेलीपुरा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर को नकुड़ रोड हाईवे पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त से 360 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 – 79/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम नशे के आदी है तथा अच्छे दोस्त है हम दोनों मिलकर सस्ते दामों पर गैर राज्य से चरस लाकर आस पास गांव/कस्बा के लोगो, मजदूरो व ट्रक चालको को थोडे ज्यादा पैसों में बेच देतो हूँ। जिससे हमे अच्छी कमाई हो जाती है और हमारे नशे की जरूरत पूरी हो जाती है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

1. मनोज कुमार पुत्र लोतीराम निवासी मौ0 राधास्वामी कालोनी ( पूर्वी अफगानान) कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर
2. सौरभ कुमार पुत्र रविन्द्र कुमार निवासी ग्राम तेलीपुरा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण**

360 ग्राम चरस

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
1. हे0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1050 नितिन थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1259 विनीत थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 28.03.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा अवैध असलाह रखने वाले 02 शातिर अभियुक्तों गिरफ्तार, कब्जे से 02 छूरे बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अवैध शस्त्र रखने/तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 28.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर 02 शातिर अभियुक्तगण 1- नितिन पुत्र विजय कुमार वर्मा निवासी काशीराम आवास कालोनी दिल्ली रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर व 2- विकास उर्फ मन्नू पुत्र बिजेन्द्र कुमार निवासी शारदा नगर रहतूलाल वाली गली थाना कुतुबशेर हाल निवासी काशीराम आवास कालोनी दिल्ली रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को रेलवे लाईन के पास खडी झाडिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01-01 अवैध छुरा बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण नितिन व विकास उर्फ मन्नू उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 98/2024 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण नितिन व विकास उर्फ मन्नू उपरोक्त ने बताया कि ये छुरे हम आस पास के लोगो पर रौब जमाने व लोगो को डराने धमकाने के लिये रखते है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

- 1- नितिन पुत्र विजय कुमार वर्मा निवासी काशीराम आवास कालोनी दिल्ली रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
- 2- विकास उर्फ मन्नू पुत्र बिजेन्द्र कुमार निवासी शारदा नगर रहतूलाल वाली गली थाना कुतुबशेर हाल निवासी काशीराम आवास कालोनी दिल्ली रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

➤ 02 अवैध छुरा।

**अभियुक्त नितिन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 200/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार, सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 449/21 धारा 398/401 भादवि थाना सदर बाजार, सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 451/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार, सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 98/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर, सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री ओमकार सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. हैड का0 240 अनूप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1057 शक्ति सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 28.03.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना सरसावा पुलिस द्वारा चोरी, मारपीट व छेड़छाड़ के मामले में 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 27.03.2024 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादिया के घर में घूसकर चोरी करना व वादिया की पुत्री के साथ छेड़छाड़ करना तथा शिकायत करने पर एक राय होकर वादिया व वादिया के पुत्रों के साथ मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 78/2024 धारा 147,354,323,380 भादवि बनाम जीशान आदि 10 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 02 वांछित अभियुक्तगण 1. जीशान पुत्र उमर मौहम्मद निवासी ग्राम समसपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर व 2. जियाउल पुत्र मौ0 मुर्तजा निवासी मन्दवाडा थाना बुढाना जिला मुजफ्फरनगर को ग्राम घांघोड चौराहे से गिरफ्तार किया गया। दोनो अभियुक्तों से कुल 1000 रुपये बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

1. जीशान पुत्र उमर मौहम्मद निवासी ग्राम समसपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर
2. जियाउल पुत्र मौ0 मुर्तजा निवासी मन्दवाडा थाना बुढाना जिला मुजफ्फरनगर

**बरामदगी का विवरण:-**

- 450 रुपये (अभि0 जियाउल)
- 550 रुपये (अभि0 जीशान)

**गिरफ्तार करने वाली टीम**

1. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावल कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. म0हे0का0 243 रुही सोना थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 1960 टेकचन्द थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. का0 2557 कृष्ण थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 28.03.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से**  
**12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण व नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु लगातार गिरफ्तारी अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त सिद्धू सैनी पुत्र जनेश्वर निवासी निकट गैंदा मन्दिर मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को ग्राम राजपुरा कम्बो माजरा की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त सिद्धू सैनी उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 99/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त सिद्धू सैनी उपरोक्त ने बताया कि मैं हरियाणा राज्य से सस्ते दामों में शराब की बोतल खरीद कर ले आता हूँ और अपने आस-पास व राह चलते लोगो को अधिक दामों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

सिद्धू सैनी पुत्र जनेश्वर निवासी निकट गैंदा मन्दिर मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

**अभियुक्त सिद्धू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1- मु0अ0सं0 01/2022 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कुतुबशेर, सहारनपुर

2-मु0अ0सं0 99/2024 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कुतुबशेर, सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

➤ 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का (Malta (माल्टा) FOR SALE IN HARIYANA ONLY) ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

2. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

3. का0 1913 राजन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 28.03.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा एक शराब तस्कर अभियुक्त को 12 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का सहित किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों की गिरफ्तारी व रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.03.2024 को चैकिंग के दौरान थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा एक शराब तस्कर अभियुक्त जावेद उर्फ मिण्डा पुत्र सफदर निवासी ग्राम नौशेरा, थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर को लाण्डा पुल से 12 बोतल देशी शराब माल्टा मार्का हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 59/24 धारा 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**विवरण पूछताछ-** पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त में बताया कि मेरे द्वारा हरियाणा से शराब खरीदकर रास्ते में चलने वाले ट्रक चालको को अच्छे दामों में बेचकर कुछ धन कमा लेते हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

जावेद उर्फ मिण्डा पुत्र सफदर निवासी ग्राम नौशेरा, थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर

**आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 195/2020 धारा 5ए/8 गौवध अधि0 व 307 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 222/2020 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण -**

12 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का बरामद

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 नवीन कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. का0 1131 सूरज शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



दिनांक: 28.03.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना बेहट पुलिस द्वारा 06 माह की अवधि के लिए निष्कासित किये गये जिला बदर  
अपराधी को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि मा0 न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा दिनांक 16.03.2024 को सम्बन्धित वाद सं0- 4091/2023 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या D202309600004091 में अभियुक्त मनव्वर पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जिला सहारनपुर को 06 माह की अवधि के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित किया गया था। मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त मनव्वर पुत्र इस्लाम नि0 पथरवा थाना बेहट जिला सहारनपुर को दिनांक 27.03.24 को जनपद सहारनपुर की सीमा से पोन्टा साहेब हिमाचल प्रदेश की सीमा में मा0 न्यायालय के आदेश से अवगत कराकर छोडा गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में एवं **प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना बेहट के कुशल नेतृत्व में** आज दिनांक 28.03.2024 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा 01 जिला बदर अपराधी/अभियुक्त मनव्वर पुत्र इस्लाम नि0 ग्राम पथरवा थाना बेहट जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0- 4091/2023 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या D202309600004091 को ग्राम पथरवा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 110/24 धारा 10 यू0पी0 गुण्डा अधि0 बनाम मनव्वर उपरोक्त पंजीकृत अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त वारण्टी का नाम व पता-**

मनव्वर पुत्र इस्लाम नि0 ग्राम पथरवा थाना बेहट जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री मेहर सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1049 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 28.03.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा 01 शातिर अस्लाह तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 तमन्चे /02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 16 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन मेआगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रण, अवैध शस्त्रों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.03.24 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 शातिर अस्लाह तस्कर **अभियुक्त आबिद पुत्र इदरीश नि0 मौ महल कस्बा व थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर को** इस्लामनगर बाई पास रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 03 तमन्चे नाजायज, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 16 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0स0 97/24 धारा 3/5/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं पढा लिखा नही हूँ व नशा करने का आदि हूँ। तमन्चे व कारतूस को सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज जब मैं अवैध तमन्चा बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

आबिद पुत्र इदरीश नि0 मौ महल नई बस्ती कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

### **बरामदगी:-**

- 03 तमन्चे/ 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 16 जिन्दा कारतूस 12 बोर

### **आपराधिक इतिहास:-**

मु0अ0स0 189/21 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 अधि0 थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
3. उ0 नि0 श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
4. का0 2049 ब्रजेश कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
5. का0 2215 ललित कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर





दिनांक: 28.03.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछितवारण्टी अपराधियों/ की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.03.2024 को चैकिंग के दौरान थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा एक शातिर **अभियुक्त अजय पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम भोजपुर थाना नानौता जिला सहारनपुर** को भोजपुर मार्ग पर बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अजय उपरोक्त के कब्जे से 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुए। अभियुक्त के विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 69/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं लोगो को डराने धमकाने व गलत काम करने के लिये अपने पास तमन्चा रखता हूँ। यह तमंचा मैंने राह चलते एक अनजान व्यक्ति से खरीदा था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

अजय पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम भोजपुर थाना नानौता जिला सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

01 अदद तमन्चा 315 बोर

01 कारतूस जिन्दा 315 बोर

**आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0स0 80/21 धारा 60(1) आबकारी अधि थाना नानौता सहारनपुर

2. मु0अ0स0 69/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 सुन्दर सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर

2. है0का0 729 उपेन्द्र कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक: 28.03.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछितवारण्टी अपराधियों/ की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.03.2024 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त रजनीश पुत्र यशपाल निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता जिला सहारनपुर को ग्राम सोना अर्जुनपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त रजनीश उपरोक्त के कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर व 03 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर नाजायज बरामद हुए। अभियुक्त के विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 70/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरी गाँव में कुछ लोगो से तनातनी चल रही है जिस वजह से मैं अपने पास तमन्चा रखता हूँ। यह तमन्चा मैंने राह चलते एक व्यक्ति से खरीदा था जिसका नाम पता मैं नहीं जानता।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

रजनीश पुत्र यशपाल निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता जिला सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

01 अदद तमन्चा 315 बोर  
03 कारतूस जिन्दा 315 बोर

**आपराधिक इतिहास-**

- मु0अ0स0 35/23 धारा 414/420/465 भादवि थाना नानौता सहारनपुर
- मु0अ0स0 22/23 धारा 153ए/504 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट व 3(1)घ, द 3(2)5क एससी एसटी एक्ट थाना नानौता सहारनपुर
- मु0अ0स0 70/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- उ0नि0 कृष्ण कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- है0का0 830 राहुल शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक: 28.03.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त को 20 लीटर शराब खाम सहित किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.03.2024 को चैकिंग के दौरान थाना नानौता पुलिस टीम एक शराब तस्कर नदीम पुत्र शहीद अहमद निवासी मौ० कानूनगोयान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर को रूहाडा नाला पटरी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नदीम उपरोक्त के कब्जे से 20 लीटर शराब खाम बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नानौता पर मु०अ०स० 71/24 धारा 60(1) आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त नदीम उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं पुलिस से बचकर गांवों के आस पास के लोगों को शराब बेचने का काम करता हूँ, जिससे मेरी अच्छी कमाई हो जाती है।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

नदीम पुत्र शहीद अहमद निवासी मौ० कानूनगोयान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर 0

#### **बरामदगी का विवरण:-**

20 लीटर शराब खाम

#### **आपराधिक इतिहास:-**

1. मु०अ०स० 139/09 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
2. मु०अ०स० 327/14 धारा 4/25 आयुध अधि० थाना नानौता सहारनपुर
3. मु०अ०स० 388/13 धारा 379 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. मु०अ०स० 71/24 धारा 60(1) आबकारी अधि० थाना नानौता सहारनपुर

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ०नि० रामचरण सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. का० 250 कविन्द्र कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 28.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 चाकू

### नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अवैध शस्त्रों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.3.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त दानिश पुत्र स्व0 सुलेमान नि0 ग्रा0 ताहरपुर थाना को0 देहात जिला सहारनपुर को काशीराम बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 नाजायज चाकू वरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 181/2024 धारा 4/25 आर्मस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त दानिश उपरोक्त ने बताया कि जो चाकू पुलिस टीम द्वारा मुझसे बरामद किया गया है उसे मैं लोगो को डराने धमकाने के लिये अपने पास रखता हूँ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दानिश पुत्र स्व0 सुलेमान नि0 ग्रा0 ताहरपुर थाना को0 देहात जिला सहारनपुर।

### गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 154/23 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. मु0अ0स0 58/22 धारा 414 भादवि0 थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. मु0अ0स0 59/22 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 425/21 धारा 379/411 भादवि0 थाना सदर बाजार सहारनपुर।
5. मु0अ0स0 428/21 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।
6. मु0अ0स0 181/24 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।

### बरामदगी का विवरण –

➤ 01 नाजायज चाकू

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. का0 1815 विशाल थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
3. का0 1837 सचिन थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।



दिनांक: 28.03.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01**

**चाकू नाजायज बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्र के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.3.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर **अभियुक्त मनीष उर्फ मोन्टी पुत्र वीर सिंह उर्फ महावीर नि0 ग्रा0 चत्रसाली थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को काशीराम कालोनी के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर **मु0अ0सं0 180/2024 धारा 4/25 आर्मस एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त मनीष उर्फ मोन्टी उपरोक्त ने बताया कि जो चाकू आज पुलिस टीम द्वारा मुझसे बरामद किया गया है उसे मैं लोगों में डराने धमकाने के लिये अपने पास रखता हूँ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

मनीष उर्फ मोन्टी पुत्र वीर सिंह उर्फ महावीर नि0 ग्रा0 चत्रसाली थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

**गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 74/024 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 180/24 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।

**बरामदगी का विवरण -**

➤ 01 नाजायज चाकू

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. का0 1815 विशाल थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
3. का0 1837 सचिन थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।



प्रेस नोट

दिनांक: 28.03.2024

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, नशीले पदार्थों एवं अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त 1. अरशद पुत्र नसीर निवासी ग्राम दबकौरा थाना बेहट सहारनपुर व 2. अमजद उर्फ काला पुत्र अरशद निवासी ग्राम दबकौरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर को दबकौरा के चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से क्रमशः 12 ग्राम स्मैक व 08 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0स0-109/2024 धारा-8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हम दोनों कम पढे लिखे हैं व नशा करने के आदि हैं। हम दोनों स्मैक सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में नशा करने वाले लोगों को अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। आज जब हम स्मैक बेचने जा रहे थे तो पुलिस टीम ने हमें पकड़ लिया।

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

1. अरशद पुत्र नसीर निवासी ग्राम दबकौरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. अमजद उर्फ काला पुत्र अरशद निवासी ग्राम दबकौरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

#### बरामदगी-

- 12 ग्राम अवैध स्मैक नाजायज ( अभियुक्त अरशद के कब्जे से )  
08 ग्राम अवैध स्मैक नाजायज ( अभियुक्त अमजद के कब्जे से )

#### अभियुक्त अरशद का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 217/19 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बेहट सहारनपुर
2. मु0अ0स0 484/21 धारा 398/401 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
3. मु0अ0स0 485/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट सहारनपुर
4. मु0अ0स0 618/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट सहारनपुर

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राजेन्द्र राठी थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. प्रशिक्षु म0उ0नि0 अवनी उपाध्याय थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
4. है0का0 586 राजीव पंवार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
5. का0 2036 हर्ष तोमर थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर



**-प्रेस नोट-**

दिनांक: 28.03.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 04 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से**  
**चोरी किये गये 50,000/- रुपये व 04 अवैध छुरे बरामद ।**

अवगत कराना है कि दिनांक 26.03.2024 को वादी श्री अब्दुल जब्बार पुत्र अशफाक अहमद नि० न्यू एकता कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत वादी के घर में घुसकर अभियुक्तगण 1. नौशाद उर्फ रामजाने पुत्र नामालुम नि० एकता कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर 2. मोबीन पुत्र श्री सरफराज नि० गली नं० 25 पीर वाली गली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु०अ०सं० 96/2024 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा 04 शातिर चोर/ अभियुक्तगण 1. मोबीन पुत्र सरफराज निवासी मौ० चाँद कालौनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर, 2. रामजाने उर्फ मय्यूर खान पुत्र सलीम निवासी एकता कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर, 3. गुलबहार उर्फ मिन्डा पुत्र यामीन निवासी सकूरी मस्जिद चाँद कालौनी थाना मण्डी जिला सहारनपुर, 4. तसलीम उर्फ बाबू पुत्र तासीन निवासी मौ० इन्द्रा चौक अलीशान पैलेस थाना मण्डी जिला सहारनपुर को ग्राम हौजखेडी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 04 नाजायज छुरे तथा मुकदमा उपरोक्त में चोरी किये गये रूपयों में से 50,000 रुपये बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी एवं मु०अ०सं० 100/24 धारा व 4/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण मोबीन व रामजाने उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हम कम पढे लिखे हैं व नशा करने के आदि हैं। हमने दिनांक 26.03.2024 की रात्री में सुबह के समय न्यू एकता कालोनी में एक घर से चोरी की थी। घर के अन्दर हम दोनो गये थे तथा गुलबहार व तसलीम दोनो बाहर खडे होकर निगरानी कर रहे थे। हम चारो बेरोजगार हैं और अपनी नशा की लत को पूरा करने के लिये अलग – अलग स्थानों पर बंद पड़े मकान में चोरी करते हैं तथा हम सभी चोरी करते समय लोगो को डराने धमकाने के लिये अपने पास छूरा रखते है। पुलिस टीम द्वारा आज जो हमसे रुपये बरामद किये हैं वो हमने न्यू एकता कालोनी में से एक घर से चोरी किये थे। जिसमें से कुछ रुपये हमने खर्च कर दिए हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-**

1. मोबीन पुत्र सरफराज निवासी मौ० चाँद कालौनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. रामजाने उर्फ मय्यूर खान पुत्र सलीम निवासी एकता कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

3. गुलबहार उर्फ मिन्डा पुत्र यामीन निवासी सकूरी मस्जिद चाँद कालौनी थाना मण्डी जिला सहारनपुर
4. तसलीम उर्फ बाबू पुत्र तासीन निवासी मौ० इन्द्रा चौक अलीशान पैलेस थाना मण्डी जिला सहारनपुर

#### **अभियुक्त मोबीन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-**

- 1-मु०अ०सं० 275/21 धारा 379/411 भादवि थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
- 2-मु०अ०सं० 355/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधि० थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
- 3-मु०अ०सं० 146/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधि० थाना कुतुबशेर, सहारनपुर

#### **अभियुक्त रामजाने उर्फ मय्यूर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-**

- 1-मु०अ०सं० 38/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मंडी, सहारनपुर
- 2-मु०अ०सं० 300/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मंडी, सहारनपुर

#### **अभियुक्त गुलबहार उर्फ मिन्डा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-**

- 1-मु०अ०सं० 94/24 धारा 60 आबकारी अधि० थाना कोतवाली मंडी, सहारनपुर
- 2-मु०अ०सं० 252/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मंडी, सहारनपुर

#### **अभियुक्त तसलीम उर्फ बाबू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-**

- 1-मु०अ०सं० 606/17 धारा 302/504 भादवि थाना कुतुबशेर, सहारनपुर

#### **बरामदगी का विवरण:-**

- 50,000/- रुपये ( मु०अ०सं० 96/2024 धारा 457/380 भादवि से सम्बन्धित) ।
- 04 नाजायज छुरे ।

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ०नि० श्री सचिन पुनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. हैड का० 819 सतेन्द्र कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. हैड का० 974 अमित भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।